(48)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 कैंप रीवा,

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE 10 Rs. INDIA दस रुपये TEN RUPEES

अपील 280-II/06

1. कालिका प्रसाद तनय श्री रामसजीवन उम्र- 47 वर्ष, जाति ब्रा0
2. रामलली पत्नी श्री रामसजीवन उम्र- 90 वर्ष, पेशा- घरूकार्य,
दोनों निवासी- ग्राम- कलावल, तहसील- नागौद, जिला-सतना (म0प्र0)

----------अपी0गण,

श्री रामाश्रय शुक्ला एडवोकेट
द्वारा आज दि० 16-2-06 को प्रस्तुत।

[signature] 16/2/06
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम

शासन म0प्र0

---------रेस्पा0न्ट,

अपील विरुद्ध आदेश श्रीमान् न्यायालय अपर कमिश्नर सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक-25/ पुनर्स्थापन/ 2000-2001 पारित आदेश दिनांक- 12/12/2000 अन्तर्गत धारा- 35 (4) म0प्र0 भू0 रा0 सं0- 1959 ई0.

- -

5 FEB 2006

रामाश्रय शुक्ला एडवोकेट
[signature]

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न हैं :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपी0 गण के पिता रामसजीवन के द्वारा रेस्पा0 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें अपी0 गण के पूर्वाधिकारी रामसजीवन दिनांक- 26/6/2000 से लापता हैं, काफी खोज-के पश्चात् उनका पता नहीं चल पा रहा है, न ही मिलने के सम्भावना है, जिससे अपी0गण उक्त प्रकरण में वादमित्र की हैसियत से अपी0 प्रस्तुत कर र[illegible]

... नागौद, जिला- सतना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 280–दो/2006 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 25/पुन0/00–01 में पारि आदेश दिनांक 12.12.2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959(जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा–35 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदकगण के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक के विरूद्ध अपील पेश की गई थी, जिसमें आवेदकण के पिता रामसजीवन दिनांक 26.06.00 से लापता है किन्तु काफी खोजबिन करने के उपरांत रामसजीवन का पता न लगने के कारण हितबद्ध पक्षकार की हैशियत से आवेदकगण ने निगरानी प्रस्तुत की है । प्रकरण में तहसील न्यायालय ने आवेदकगण के पिता की अनुपस्थित होने की दशा में दिनांक 06.11.2000 को प्रकरण खारिज किया गया था । इसके पश्चात आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, नागौद के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में अंनुविभागीय अधिकारी,नागौद द्वारा स्वत्व की भूमि को शासकीय घोषित किये जाने के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में समक्ष पेश की गई थी, जो लंबित थी। अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 12.12.2000 को आवेदन यह कहकर अमान्य कर दिया कि आवेदक की ही जिम्मेदारी थी की वह पेश पर नियम समय में उपस्थित होता । अपर आयुक्त रीवा के	

इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में आवेदकगण के पिता द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी किन्तु आवेदक के पिता की गुमशुदगी के कारण विचारण न्यायालय में आवेदक की पिता की अनुपस्थित में दिनांक 06.11.00 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी नागौद के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो निरस्त कर दी गई । आवेदकगण के पिता दिनांक 28.06.2000 से ही लापता है, काफी ,खोजबिन करने के पश्चात भी कोई खोज खरब नहीं मिल पाई, इस कारण आवेदकगण द्वारा वादमित्र की हैशियत से अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। आवेदकगण ने पिता की गुमशुदगी की रिर्पोट थाने में भी की थी तथा पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 11.08. 2000 को की गई तथा विधायक रैगांव के समक्ष शिकायत की गई, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 11.08.2000 को कार्यवाही करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक एवं मुख्यामंत्री को लिखा गया । इसी प्रकारण आवेदक क्र0 1 द्वारा दिनांक 03.01.01 को थाना प्रभारी एवं निरीक्षक प्रभारी जिला अपराध शाखा भोपाल को भी रामसजीवन गौतम के गुमशुदगी बावत रिर्पोट की गई । इस प्रकार जब आवेदगण के पिता दिनांक 28.06.2000 से लापता है तो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का प्रश्न नहीं उठता, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया और आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता ने प्रकरण में वही तर्क उठाये है जो निगरानी मेंमो में है । अतः तर्क दुबारा न दोहराते हुये प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलखों का अवलोकन किया गया ।

6/ अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे। आवेदक ने यह भी कहा है कि उसके पिता दिनांक 28.06.2000 से लापता है तो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का प्रश्न नहीं उठता । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया । आवेदकगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.11.2000 को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 उपधारा 3 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें लेख किया गया था कि आवेदकगण के पिता घरेलू काम से बाहर गया है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने इसी आवेदन पत्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला की यदि आवेदक अनुपस्थित है तो उसके अधिवक्ता को तो नियत पेशी दिनांक में उपस्थित होकर प्रकरण की पैरवी करना चाहिये था । चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के पुर्नस्थापन बावत् आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा आवेदन–पत्र दिया गया था । उक्त आवेदन में आवेदकगण के पिता के हस्ताक्षर नहीं बने है। इसके अलावा पुर्नस्थापन का आवेदन समय सीमा में पेश

किया गया था। आवेदकगण ने अपने अभिभाषक से कई बार सम्पर्क करना चाहा, किन्तु सम्पर्क न होने के कारण प्रकरण की सही स्थिति अथवा जानकारी आवेदकगण को नहीं हो पाई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रकरण में कोई रूचि नहीं ली है, जिसके कारण पक्षकार को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभिभाषक की त्रुटि की सजा पक्षकार को नहीं मिलना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया है और प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जो कि विधि के विपरीत है।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि के विपरीत है। अतः निरस्त किया जाता है और आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुये, प्रकरण पुर्नस्थापित कर गुण–दोषों के आधार पर निकराण किया जाता है। प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य